<u>न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर</u>
समक्ष : डा0 मधु खरे
सदस्य

प्रकरण कमांक निगरानी 1002–दो/2014 विरूद्ध आदेश दिनांक 03–2–2014 पारित द्वारा अनुविभागीय अधिकारी आष्टा जिला सीहोर प्रकरण कमांक 04/अपील/2012–13.

1. कैलाश नारायण आ0 श्री कमोद सिंह
2. मनोहर लाल आ0 श्री कमोद सिंह
3. नर्बदा प्रसाद आ0 श्री कमोद सिंह
4. लखनलाल आ0 श्री कमोद सिंह
   निवासीगण ग्राम सेवदा, तह0 आष्टा
   जिला सीहोर म0प्र0

———आवेदकगण

विरूद्ध

1. प्रेमसिंह आ0 श्री हरि सिंह
   निवासी ग्राम सेवदा तह0 आष्टा
   जिला सीहोर म0प्र0
2. धरमसिंह आ0 श्री हरि सिंह
3. मानसिंह आ0 श्री हरि सिंह
4. श्रीमती घीसीबाई आ0 श्री हरि सिंह
   निवासीगण ग्राम सेवदा, तह0 आष्टा
   जिला सीहोर म0प्र0

———अनावेदकगण

– – – – – –

श्री मेहरबानसिंह, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री नीरज श्रीवास्तव, अभिभाषक, अनावेदकगण

– – – – – –

:: आदेश पारित ::
(दिनांक 5 मई 2015)

– – – – –

आवेदकों द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी आष्टा जिला सीहोर प्रकरण कमांक 04/अपील/2012–13 में पारित आदेश दिनांक 03–2–2014

के विरूद्ध म0प्र0 भू—राजस्व संहित 1959 (जिसे आगे संक्षिप्त में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अनावेदक कमांक 1 प्रेमसिंह ने तहसील न्यायालय आष्टा में संहिता की धारा 250 के अंतर्गत ग्राम सेवदा की भूमि खसरा कं 460 के अंश भाग 0.60 एकड़ पर से आवेदकगण को बेदखल किये जाने बावत आवेदन प्रस्तुत किया गया। तहसीलदार आष्टा ने प्रकरण कमांक 3/अ—70/2003—04 में पारित आदेश दिनांक 29—9—07 से अनावेदक कं 1 का आवेदन निरस्त किया गया। अनुविभागीय अधिकारी ने दिनांक 11—2—08 को तहसीलदार का आदेश दिनांक 29—9—07 अपास्त किया तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया गया कि सीमांकन दिनांक से प्रकरण को म्याद में मानकर गुण—दोषों के आधार पर निर्णयात्मक आदेश पारित करें। तहसील न्यायालय ने प्रकरण में पुनः प्रकरण की सुनवाई प्रारम्भ की गई तथा दिनांक 28—6—10 को अनावेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन निरस्त कर दिया। तहसील न्यायालय के इस आदेश के विरूद्ध पुनः अनुविभागीय अधिकारी को अपील प्रस्तुत की। अनुविभागीय अधिकारी ने दिनांक 30—6—10 को अपील स्वीकार की तथा इस निर्देश के साथ प्रकरण प्रत्यावर्तित किया कि राजस्व निरीक्षक द्वारा किए गए सीमांकन प्रकरण का परीक्षण कर हितबद्ध पक्षकारों को सुनकर गुण—दोषों के आधार पर प्रकरण का निराकरण करें। तहसील न्यायालय ने आदेश दिनांक 22—8—12 को अनावेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन पुनः निरस्त कर दिया। तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध अनावेदक कमांक 1 ने अनुविभागीय अधिकारी आष्टा को पुनः अपील प्रस्तुत की। अनुविभागीय अधिकारी ने आदेश दिनांक 03—02—2014 को अपील स्वीकार करते हुये प्रकरण पुनः अधीनस्थ की ओर इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया कि उभय पक्षों के समक्ष किये गये सीमांकन दिनांक को अपीलार्थी की प्रथम जानकारी मानते हुये प्रकरण में आये

साक्ष्यों का विश्लेषण कर प्रकरण में पुनः गुण–दोषों के आधार पर आदेश पारित करें। अनुविभागीय अधिकारी के उक्त आदेश के विरूद्ध निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा तर्क में बताया कि इस प्रकरण में सुनवाई डबल बैंच में होना चाहिए क्योंकि दो धाराओं में आदेश दिये है। तर्क में यह भी कहा कि धारा 250 की कार्यवाही कब्जे के दिनांक के दो वर्ष के भीतर की जानी चाहिए जबकि मकान 50 वर्ष पूर्व का बना हुआ है। अतः तहसीलदार ने अनावेदक का धारा 250 का आवेदन निरस्त करने में कोई त्रुटि नहीं की थी। यह भी तर्क किया कि विवादित भूमि के अंश भाग पर 50 वर्षों से मकान बना है। उक्त मकान को तोड़ने या हटाने का अधिकार म0प्र0 भू–राजस्व संहिता की धारा 250 के अंतर्गत राजस्व न्यायालय को नहीं है। आवेदक अभिभाषक ने यह भी तर्क किया कि अनुविभागीय अधिकारी ने भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 49 के अन्तर्गत अपील में प्रकरण प्रत्यावर्तित करने का विधि विरूद्ध आदेश पारित किया है, अपील में प्रकरण प्रत्यावर्तित नहीं किया जा सकता। अतः निगरानी स्वीकार की जाये।

4/ अनावेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा तर्क में बताया कि अनुविभागीय अधिकारी ने अपने आदेश दिनांक 3–2–14 में प्रकरण इस आधार पर प्रत्यावर्तित किया है कि अनावेदक को कब्जे की जानकारी सीमांकन के पूर्व नहीं थी अतः सीमांकन दिनांक से समयावधि की गणना कर प्रकरण में गुण–दोष के आधार प्रकरण का निराकरण किया जाये। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिया गया विचाराधीन आदेश उनके पूर्व में दिनांक 11–2–08 तथा दिनांक 30–6–10 को किए गए आदेश जिसमें सीमांकन दिनांक से अतिकमण की जानकारी मानते हुये समयावधि की गणना करने का निर्देश था उसका पालन तहसीलदार द्वारा न करने के कारण पूर्व में किए गए आदेश का पालन करने हेतु प्रकरण प्रत्यावर्तित किया है। तर्क में यह भी कहा कि

तहसीलदार न्यायालय द्वारा बार–बार अपने वरिष्ठ न्यायालय द्वारा दिये गए निर्देशों का पाल न कर विधि विपरीत निर्णय किया गया है अतः अनुविभागीय अधिकारी ने अपील स्वीकार कर प्रकरण प्रत्यावर्तित किया है। अनावेदक अभिभाषक द्वारा यह भी तर्क किया कि भू–राजस्व संहिता की धारा 250 में कार्यवाही करने की अधिकारिता तहसीलदार को है, इसलिए अनुविभागीय अधिकारी ने प्रकरण तहसीलदार को प्रत्यावर्तित करने में त्रुटि नहीं की है। अतः निगरानी निरस्त की जाये।

5/ उभय पक्ष अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्क सुने तथा अभिलेखों का अवलोकन किया। आवेदक अभिभाषक द्वारा यह तर्क किया कि इस प्रकरण में सुनवाई डबल बैंच में होना चाहिए क्योंकि दो धाराओं में आदेश दिये है, परन्तु किस नियम के तहत तथा किन दो धाराओं में आदेश देने से डबल बैंच में प्रकरण सुनवाई हेतु रखा जाना चाहिए इसका कोई आधार नहीं बताया है अतः उनका यह तर्क अमान्य किया जाता है।

अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि अनावेदक कमांक 1 प्रेमसिंह द्वारा सीमांकन कराने के उपरांत तहसील न्यायालय में संहिता की धारा 250 के अन्तर्गत आवेदन प्रस्तुत आवेदकगण का अनाधिकृत कब्जा हटाकर आधिपत्य दिलाये जाने की मांग की। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 3–2–2014 में यह उल्लिखित है कि पूर्व में अनुविभागीय अधिकारी ने दिनांक 29–9–07 को आदेश पारित कर सीमांकन तिथि से अपीलार्थी को उसकी भूमि पर अतिकमण की जानकारी मानते हुये तदनुसार समय–सीमा की गणना करते हुये धारा 250 की कार्यवाही करने हेतु तहसीलदार को आदेश दिये थे। परन्तु तहसीलदार द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के उक्त आदेश का पालन न कर दिनांक 28–6–10 को अपीलार्थी का आवेदन निरस्त किया। उसके विरूद्ध पुनः अनुविभागीय अधिकारी न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गई, जिसपर अनुविभागीय अधिकारी ने इस निर्देश के साथ प्रकरण प्रत्यावर्तित किया कि

राजस्व निरीक्षक द्वारा किए गए सीमांकन प्रकरण का परीक्षण कर गुण–दोषों पर निराकरण करें। इस पर तहसील न्यायालय ने प्रकरण में पुनः सुनवाई की गई तथा तहसीलदार ने आदेश दिनांक 22–8–12 में यह माना कि आवेदक का मकान 50 वर्ष पुराना है अतः कब्जा पुराना है। अतिकमण के 2 वर्ष के भीतर 250 के कार्यवाही करनी चाहिए दो वर्ष की अवधि के भीतर भूमि पर से बेकब्जा होना नहीं पाया। अतः आवेदन निरस्त किया। इससे यह प्रकट होता है कि कि तहसीलदार ने अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 29–9–07 तथा 30–6–2010 को दिये गये आदेश का पालन नहीं किया। अतः अनुविभागीय अधिकारी ने तहसीलदार का आदेश दिनांक 22–8–2012 निरस्त कर प्रकरण पुनः इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया कि सीमांकन दिनांक को अपीलार्थी की प्रथम जानकारी मानते हुये प्रकरण में आये साक्ष्यों का विश्लेषण कर प्रकरण में पुनः गुण–दोषों के आधार पर आदेश पारित करें। प्रकरण के अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित भूमि से संबंधित इस प्रकरण में तहसीलदार द्वारा तीन बार अनावेदक का धारा 250 का आवेदन इस आधार पर निरस्त किया कि आवेदक का 50 वर्ष पूर्व का मकान बना है एवं दो वर्ष के भीतर धारा 250 के अन्तर्गत कार्यवाही हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा तीन बार प्रकरण इस आधार पर प्रत्यावर्तित किया है कि सीमांकन दिनांक से अतिकमण की जानकारी मानते हुये प्रकरण का साक्ष्यों के आधार पर गुण–दोषों पर निराकरण करें। पुराने कब्जे के संबंध में किसी पक्ष ने सिविल न्यायालय में वाद दायर करने की जानकारी नहीं दी, जबकि कब्जे के संबंध में सिविल न्यायालय से वाद निराकरण कराया जा सकता था। अनुविभागीय अधिकारी ने अपने पूर्व आदेश दिनांक 29–9–07 एवं 30–6–10 का पालन कराने के तारतम्य में समय–सीमा की गणना सीमांकन दिनांक को अपीलार्थी की प्रथम जानकारी मानते हुये प्रकरण में गुण–दोषों पर निराकरण हेतु प्रत्यावर्तित किया है। इस प्रकरण में तीन–तीन बार

अनुविभागीय अधिकारी एवं तहसील न्यायालय में कार्यवाही की गई, परन्तु किसी भी अन्तिम निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा गया। दिनांक 30–12–2011 को भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 49(3) में हुये संशोधन अनुसार –

"पक्षकारों को सुनने के पश्चात, अपील प्राधिकारी उस आदेश की, जिसके कि विरूद्ध अपील की गई है, पुष्टि कर सकेगा, उसमें फेरफार कर सकेगा या उसे उलट सकेगा या ऐसा अतिरिक्त साक्ष्य ले सकेगा जैसा कि आदेश पारित करने के लिए वह आवश्यक समझे:

परन्तु यह कि अपील प्राधिकारी, उसके अधीनस्थ किसी राजस्व अधिकारी द्वारा मामले को, निपटाने के लए प्रतिप्रेषित नहीं करेगा:"

संहिता की धारा 49 में किए गए संशोधन उपरान्त अपील में प्रकरण प्रत्यावर्तित नहीं किया जा सकता। इस प्रकरण में अपीलीय अधिकारी अनुविभागीय अधिकारी को स्वतः प्रकरण में प्रस्तुत साक्ष्यों अथवा यदि अन्य साक्ष्यों को लेने की आवश्यकता समझे तो अतिरिक्त साक्ष्य लेकर निर्णय लेना चाहिए।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी आंशिक स्वीकार की जाती है। अनुविभागीय अधिकारी का आदेश दिनांक 3–2–2014 निरस्त करते हुये प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रकरण प्रत्यावर्तित किया जाता है कि वह अपील में उभय पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर प्रकरण का गुण–दोष पर निराकरण करें।

(डा0 मधु खरे)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर